रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1998/माघ 8, 1919
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 1998/MAGHA 8, 1919

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1998

सा०का०नि 58(अ).—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में, सरकारी आवास आबंटन, (दिल्ली में साधारण पूल), नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आवास आबंटन(दिल्ली में साधारण पूल) संशोधन नियम 1998 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 के अनुपूरक नियम 317-ख-22 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि सेवा निवृत्ति या टर्मिनल छुट्टी की दशा में संबंधित प्रधिकारियों से समुचित प्रमाणन के अधीन रहते हुए कोई आबंटिती विशेष कारणों से जिससे चिकित्सीय/शैक्षिक आधार हो आगे दो मास की अवधि के सामान्य अनुज्ञप्ति फीस से चार गुना और उसके पश्चात् दो मास तक की अविध के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति फीस से छह गुणा का संदाय करने पर सरकारी आवास रखने का पात्र होगा।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मूल नियम 317-ख,-11(2)(ii)के उपबंधों के अनुसार सेवा निवृत्ति/टर्मिनल छुट्टी की दशा में सामान्य अनुज्ञप्ति फीस संदाय करने पर सरकारी आवास रखने की अनुज्ञेय अवधि 2 मास है और इससे आगे दो मास की अवधि के लिए दो गुणी सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के संदाय करने पर अनुज्ञेय है। ये उपबंध तारीख 1-1-1997 से प्रवृत्त है।

2. अनेक स्थानों से इस बात के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सेवा निवृत्ति की दशा में पूर्व की भांति कुल अनुज्ञेय आठ मास की अवधि फिर से लागू हो। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में भी सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में सरकारी आवास रखने की इस रियायत को दिए जाने की सिफारिश की है।

3. विद्यमान आबंटन नियमों में चार मास की अनुज्ञेय अवधि के ऊपर के लिए सरकारी आवास रखने का उपबंध नहीं है। अत: यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी जो साधारण पूल से आवास के आबंटित है सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का चार गुना फीस का संदाय करने पर दो महीने की अविध के लिए और उसके पश्चात् दो मास की आगे की अवधि के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का छह गुना फीस संदाय करने पर चिकित्सीय/शैक्षिक आधारों पर इस निमित सम्यक रूप से दस्तावेजों सबूत के सहित आवास रखने की उक्त अवधि के लिए बढ़ाई गई अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए ड्राफ्ट के साथ होने पर सरकारी आवास रखने का पात्र होगा।

4. इस सम्बन्ध में 24-10-97 से प्रभावी करते हुए अधिशासी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो 24-10-97 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे जिनमें अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन 1-1-97 से प्रभावी किया जाए। इस मंत्रालय में इस छूट पर विचार -विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि संशोधन को पूर्वकालिक प्रभाव से अर्थात् 1-1-97 से लागू किया जाए ताकि सेवा निवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह न्यायोचित हो सके और संशोधन की प्रभावी होने वाली तारीख पर या उसके बाद किसी भी सेवानिवृत होने वाले व्यक्ति पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

[फा०सं०12035/28/96-पो. II]

आर०डी० सहाय,उप निदेशक।

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र में भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय(निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं०का०आ० 1330,ता० 6 मई, 1963 में प्रकाशित की गई थी।)

इन नियम का पुनर्मुद्रण 1980 में (सितम्बर, 1979 तक संशोधित किया गया था और, तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उन्हें संशोधित किया गया):—

(1) अधिसूचना सं०17013/1/81-पोल-II ता०14-4-82 (का०आ०सं०1607 ता०24-4-1982)।

(2) सं० 12033(6)/75-पोल-II(बी-II)ता० 22-11-1982(का०आ०सं०4202 ता०18-12-1982)।

(3) सं० 12035(1)/82-पोल-II ता०1-2-1983(सा०का०नि० 159 ता० 19-2-1983)।

(4) सं० 12024(1)/84-पोल-II ता०7-5-1985(का०आ०सं०2085 ता० 1-5-1985)।

(5) सं० 12035/22/83 पोल-II ता०10-2-1986 (का०आ०सं०666 ता०22-2-1986)।

(6) सं० 12035/2/83 पोल-II ता०1-7-1987 (सा०का०नि०सं०538 ता०11-7-1987)।

(7) सं० 12033/1/86 पोल-II ता०12-10-1987 (सा०का०नि०सं०796 ता०24-10-1987)।

(8) सं० 12035/1/92 पोल-II ता०14-5-1992 (सा०का०नि०सं०265 ता०30-5-1992)।

(9) सं० 12028/3/83 पोल-II ता०23-2-1994 (सा०का०नि०सं०150 ता०26-3-1994)।

(10) सं० 12035/(19)क/93 पोल-II ता०24-8-1994 (सा०का०नि०सं०447 ता०3-9-1994)।

(11) सं० 12035/21/94 पोल-II ता०2-9-1995 (सा०का०नि०सं०455 ता०14-10-1995)।

(12) सं० 12035/28/96 पोल-II ता०19-11-1996 (सा०का०नि०सं०542 ता०30-11-1996)।

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

(Directorate of Estates)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January,1998

G.S.R.58(E).—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental rules, the President hereby makes the following rules further to amend the allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—

1.(1) These rules may be called the Allotment of Government residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on Ist January, 1997.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, in Supplementary Rules 317-B-22,

after the proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the allottee shall be eligible to retain the Government accommodation for a further period of two months on payment of 4 times of the normal licence fee and subsequent two months on payment of 6 times of the normal licence fee for special reasons involving medical/educationa grounds, subject to appropriate certification by the authorities concerned."

[F.No.12035/28/-pol.II]

R.D. SAHAY, Dy. Director

EXPLANATORY MEMORANDUM

As per the provsions of the SR-317-B-11(2)(ii), the permissible period of retention of government accommodation in the case of retirement/terminal leave is two months on payment of normal rate of licence fee and further two months on payment of double the normal licence fee. These provisions are enforce with effect from 1-1-97.

2. Representations have been received from various quarters to restore the overall retention period permissible in case of retirement, to the earlier period of Eight Months, Deptt. of Pension and Pensioners Welfare, M/O Personnel and Training have also recommended to extend the concession of retention of residential accommodation as a Welfare measure for retiring government employees.

3. The existing provisions of the Allotment rules do not provide for retention of Govt. accommodation beyond permissible period of four months, therefore, it has been decided that the retiring Government servants, who are allottee of General Pool Residential accommodation shall be eligible to retain the govt. accommodation for a further period of 2 months on payment of 4 times of the normal licence fee and subsequent 2 months on payments of 6 times of the normal licence fee on medical/educational grounds, duly supported by documentary proof in this regard, alongwith Bank Draft towards payment of enhanced licence fee for the period on said retention.

4. Executive instructions in this regard have since been issued giving effect from 24-10-97. Representations have been received from those government servants who have since retired prior to 24-10-97 requesting that the proposed amendment may be given effect from 1-1--97 the matter has been considered in this Ministry and it has been decided that the amendment be given retrospective effect, from 1-1-97 so that it could be fair and just to all retiring govt. servants and will not affect adversely any persosn retiring on or after the effective date of amendment.

[F.No.12035/28/-96Pol.II]

R.D. SAHAY, Dy. Director

NOTE.—The Principal Rules were published in the Gazette of India under the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Works and Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) number S.O.1330 dated May, 1963.

The rules were re-printed in 1980 (corrected upto September,1979) and

subsequently amended by:—

(i) Notification No.117013/1/81-Pol.II dated 14-4-82 (S.O.No. 1607 dated 24-4-1982).

(ii) No. 12033(6)/75-Pol.II (Vol.II) dated 22-11-1982 (S.O.No.4202 dated 18-12-1982).

(iii) No. 12035(1)/82-Pol.II dated 1-2-1983 (GSR No.159 dated 19-2-1983).

(iv) No.12024 (1)/84-Pol.II dated 7-5-1985 (S.O.No. 2085 dated 1-5-1985).

(v) No. 12035/22/83-Pol.II dated 10-2-1986 (S.O.No. 666 dated 22-2-1986.)

(vi) No.12035/2/83-Pol.II dated 1-7-1987 (GSR No. 530 dated 11-7-1987).

(vii) No. 12033/1/86-Pol.II dated 12-10-1987 (GSR No. 796 dated 24-12-1987).

(viii) No.12035/1/92 Pol.-II dated 14-5-1992 (GSR No. 265 dated 30-5-1992).

(ix) No. 12028/3/83-Pol.II dated 23-2-1994 (GSR No. 150 dated 26-3-1994).

(x) No. 12035/(19)A/93-Pol.II dated 24-8-1994 (GSR No. 447 dated 3-9-1994).

(xi) No. 12035/21/94-Pol.II dated 2-9-1995 (GSR No. 454 dated 14-10-1995).

(xii) No. 12035/28/96-Pol.II dated 19-11-1996 (GSR No. 542 dated 30-11-1996).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998